

बिहार सरकार
अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग
स०८डी०(बजट-आवंटन-2225)-12-15/2017- 108

प्रेषक,
वीरेन्द्र कुमार,
निदेशक ।

सेवा में,

जिला कल्याण पदाधिकारी,
सीतामढी एवं पूर्वी चम्पारण ।

पटना, दिनांक 29.12.17

विषय: वित्तीय वर्ष 2017-18 में गैर योजनान्तर्गत सृजित स्थायी राजपत्रित एवं अराजपत्रित पदों यथा उपनिदेशक, कल्याण, जिला कल्याण पदाधिकारी, अनुमंडल कल्याण पदाधिकारी, प्रखंड कल्याण पदाधिकारी, प्रखंड कल्याण पर्यवेक्षक, सांख्यिकी सहायक, टंकक, ग्रेन गोला चौकीदार, लिपिक सह लेखापाल, चालक, चपरासी तथा अनुमंडल कल्याण कार्यालय के स्थायी अराजपत्रित पदों के संघारणार्थ कुल ₹ 34,91,000/- (चौतीस लाख एकान्चे हजार रू०) मात्र का अतिरिक्त आवंटन ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्तीय वर्ष 2017-18 के अन्तर्गत सृजित स्थायी राजपत्रित एवं अराजपत्रित पदों यथा उपनिदेशक, कल्याण एवम् उनके कार्यालय में सृजित स्थायी अराजपत्रित पदों, जिला कल्याण पदाधिकारी, अनुमंडल कल्याण पदाधिकारी, प्रखंड कल्याण पदाधिकारी, प्रखंड कल्याण पर्यवेक्षक, सांख्यिकी सहायक, टंकक, ग्रेन गोला चौकीदार, लिपिक सह लेखापाल, चालक, चपरासी तथा अनुमंडल कल्याण कार्यालय के स्थायी अराजपत्रित पदों के वेतन-भत्ता एवं अन्य मदों में पूर्व में विभागीय आवंटनादेश संख्या 06 दिनांक 15.05.17, 42 दिनांक 12/07/2017, 51 दिनांक 17/08/2017, 64 दिनांक 22/09/2017, 83 दिनांक 03/11/2017, 94 दिनांक 30/11/2017 एवं 104 दिनांक 21/12/2017 द्वारा आवंटन दिया गया था । जिला कल्याण पदाधिकारी सीतामढी एवं पूर्वी चम्पारण के मॉग के आलोक में कुल ₹ 34,91,000/- (चौतीस लाख एकान्चे हजार रू०) मात्र का अतिरिक्त आवंटन निम्न प्रकार दिया जाता है।

क्रमांक	जिला कल्याण कार्यालय का नाम	वेतन	जीवन यापन भत्ता	मकान किराया भत्ता	चिकित्सा भत्ता	कुल आवंटित राशि
1	2	3	4	5	6	7
1	सीतामढी	4,50,000	6,30,000	30,000	1500	11,11,500
2	पूर्वी चम्पारण	10,00,000	12,78,000	1,00,000	1,500	23,79,500
	कुल:-	14,50,000	19,08,000	1,30,000	3000	34,91,000

कुल राशि (चौतीस लाख एकान्चे हजार रू०)मात्र

2- कुल भारत व्यय राशि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017-18 में आय-व्यय शीर्ष "2225-अनु० जातियों, अनु० जनजातियों, और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण-01-अनु० जातियों का कल्याण-001-निदेशन और प्रशासन-0001-निदेशन एवं प्रशासन के प्राथमिक इकाईयों- 0001.0101-वेतन.

W-

0001.0103--जीवन यापन भत्ता, 0001.0104 मकान किराया भत्ता, 0001.0106-- चिकित्सा भत्ता, गं०-44
-बिपत्र कोड सं० 44-2225010010001 के उचित इकाईयों के अन्तर्गत विकलनीय है।

3- जिला स्तर पर संबंधित जिला कल्याण पदाधिकारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे।


4- वित्त विभाग के पत्रांक 2561 दिनांक 17-4-98 एवं पत्रांक 428 दिनांक 31.03.2017 के आलोक में यह आवंटनादेश निर्गत किया जा रहा है। अतः निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उपरोक्त परिपत्र एवं समय समय पर वित्त विभाग/ राज्य सरकार द्वारा निर्गत पत्र /परिपत्रों के आलोक में आवंटित राशि का निकासी एवं व्यय करेंगे।

5- राशि की नियमानुसार निकासी एवं समुचित उपयोग का पूर्ण उत्तरदायित्व संबंधित संबंधित जिला कल्याण पदाधिकारी का होगा। संबंधित पदाधिकारी प्रत्येक माह अपने अधीनस्थ निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों से, जिन्हें उनके द्वारा उप आवंटन दिया गया हो, व्यय विवरणी टी०भी० नम्बर इत्यादि प्राप्त कर मुख्यालय को भेजना सुनिश्चित करेंगे।


6- इसकी सूचना महालेखाकार, बिहार, पटना को दी जा रही है।

7- कृपया पत्र प्राप्ति की सूचना दी जाय।

विश्वासभाजन,



(वीरेन्द्र कुमार)
निदेशक

ज्ञापांक-- स०८डी०(बजट-आवंटन-2225)-12-15/2017 - 108 पटना, दिनांक 29.12.17
प्रतिलिपि : (1) महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
(2) वित्त विभाग, बजट शाखा, बिहार, पटना सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
(3) प्रमंडलीय आयुक्त, तिरहुत/जिला पदाधिकारी सीतामढ़ी एवं पूर्वी चम्पारण / उप. विकास आयुक्त, सीतामढ़ी एवं पूर्वी चम्पारण /सचिव के प्रधान आप्त सचिव अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग/ प्रमंडलीय उप निदेशक, कल्याण, तिरहुत /बजट शाखा, अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग/ सांख्यिकी कोषांग, अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


निदेशक

ज्ञापांक-- स०८डी०(बजट-आवंटन-2225)-12-15/2017 - 108 पटना, दिनांक 29.12.17

प्रतिलिपि : सभी संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


निदेशक

VH